भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
Small Industries Development Bank of India

उत्तराखंड में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के अध्ययन के लिए **अभिरुचि की अभिव्यक्ति** (ईओआई)

EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
For
Study of Medical device sector in Uttarakhand

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जमा करने की अंतिम तिथि: **01 सितम्बर, 2020 (17:00 बजे तक) है।**
Last date of submission of EOI: **September 01, 2020 (17:00 hours)**

मुहरबंद लिफाफे पर उत्तराखंड में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के अध्ययन को मोटे अक्षरों में अंकित करते हुए अभिरुचि की अभिव्यक्तियां (ईओआई) डाक से या मेल से निम्नलिखित पते पर भेजी जानी है:
EoIs to be submitted in sealed cover or mail, superscribing "EOI for study of Medical device sector in Uttarakhand at the following address:

1. मुहरबंद किए गए लिफाफे में अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) **जमा करने के लिए पता** / Address for submission of EoI in sealed cover:

उप महाप्रबंधक
The Deputy General Manager
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
Small Industries Development Bank of India,
तीसरी मंजिल, प्रत्यक्ष ऋण उद्-भाग
3rd Floor, Direct Credit Vertical
सिडबी टॉवर, 15 - अशोक मार्ग
SIDBI Tower, 15 - Ashok Marg

लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001

Lucknow, Uttar Pradesh - 226001

www.sidbi.in || फोन: 0522 - 2288546-50 / 0522 - 4259700

www.sidbi.in || Phone: 0522 - 2288546-50 / 0522 - 4259700

2. मेल के माध्यम से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जमा करने के लिए पता:

ईमेल आईडी: ccg@sidbi.in

Address for submission of EoI through mail:

Email ID: ccg@sidbi.in

संदर्भ की शर्तें (टीओआर):

उत्तराखंड में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का अध्ययन

Terms of Reference (ToR):

Study of Medical device sector in Uttarakhand

A. पृष्ठभूमि / Background

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) भारत में एमएसएमई इकाईयों के संवर्द्धन, विकास और वित्तपोषण के लिए एक प्रमुख संस्था है। सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईयों) के लिए वित्तीय उत्पादों में नवोन्मेषण लाने का प्रयास करता है।

Small Industries Development Bank of India (SIDBI) is the principal Institution for promotion, development and financing of MSMEs in India. SIDBI endeavours to bring about innovation in financial products for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

सिडबी ने सिडबी विजन 2.0 को अपनाकर एमएसई इकाइयों पर अपना ध्यान पुन: अभिमुख किया है। सिडबी द्वारा किया गया यह एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था की वर्तमान भूमिका को रूपांतरित करके एमएसएमई क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में तेजी लाना है, जो भारतीय एमएसई इकाइयों के लिए एक एकीकृत ऋण और विकासपरक समर्थन पारितंत्र का निर्माण कर सके और उनके समावेशी विकास में संवृद्धि करे ।

SIDBI has reoriented its focus on MSEs by adopting SIDBI Vision 2.0. It is a strategic initiative by SIDBI aimed at accelerating effort to serve MSME domain by transforming its current role to that of an All India Financial Institution that can create an integrated credit and development support ecosystem for Indian MSEs, thus promoting their inclusive growth.

सिडबी की परिकल्पना है कि वह इन हस्तक्षेपों और वचनबद्धताओं के माध्यम से उद्यम पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अभिनव, समावेशी और प्रभावशाली कार्य करे। सिडबी ने राष्ट्रीय हित के साथ अपना परिचालन संरेखित करने के साथ-साथ देश में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पक्षपोषण, विकासात्मक दृष्टिकोण, एमएसई हैंडहोल्डिंग, ऋण जोखिम सीमा प्रदाना करने के कार्यक्रम और वित्तीय संबद्धता सृजित करके कई प्रकार के उपायों को प्रारम्भ किया है।

SIDBI envisions to strengthen enterprise ecosystem through interventions and engagements, which are innovative, inclusive and impactful. SIDBI has always initiated a host of measures on policy advocacy, developmental approaches, handholding MSEs, exposure programs and creating financial linkages, to foster entrepreneurship culture in the country along with aligning its operation in National's interest.

चल रहे कोविड -19 की वैश्विक महामारी ने अर्थव्यवस्था और उन प्रमुख क्षेत्रों में व्यवधान पैदा किया है, जो पूर्व में अर्थव्यवस्था के मुख्य चक्र चालक रहें हैं और वे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। यद्यपि, इस अवधि के दौरान औषधि और स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और वैश्विक महामारी ने भारत में दवा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण में बड़े पैमाने पर प्रभावी बदलाव की आवश्यकता को उजागर किया है।

Ongoing Covid-19 pandemic has caused disruptions in the economy and major sectors which had earlier been driving wheel for the economy has been adversely impacted. However, pharmaceutical and healthcare sector has seen unprecedented growth during this period and the pandemic has highlighted need for large scale impactful changes in our approaches towards pharmaceutical and health care facilities in India.

औषधीय क्षेत्र में मुख्य रूप से सक्रिय औषधीय घटक (एपीआई), संविन्यास और **चिकित्सा उपकरण** हैं। भारतीय औषधीय क्षेत्र अत्यधिक रूप से आयात और निर्यात पर निर्भर हैं । कोविड 19 की वैश्विक महामारी के दौरान इस क्षेत्र पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित हुआ है।

Pharma sector mainly constitutes of Active Pharmaceutical Ingredients (API), Formulations and **Medical devices**. Indian Pharma sector is highly import & export dependent. The sector has gained a lot of focus during COVID 19 pandemic.

भारतीय औषधि उद्योग सकल घरेलू उत्पाद में 1.72% का योगदान करता है और इसे दवाओं की कम कीमत और उच्च गुणवत्ता के कारण "विश्व की फार्मेसी" माना जाता है। उद्योग का कुल आकार (दवाओं और चिकित्सा उपकरणों सहित) लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का है और मात्रा की दृष्टि से विश्व में तीसरा और मूल्य के मामले में 10 वां स्थान है, जो कि दुनिया के उत्पादन की मात्रा के आधार पर लगभग 10% और मूल्य के आधार पर 1.5% आता है।

The Indian pharmaceutical industry contributes 1.72% of GDP and is regarded as “Pharmacy of the world” due to low prices and high quality of the medicines. The total size of the industry (including drugs & medical devices) is around ₹3 lakh crore and is 3rd largest in the World in terms of volume and 10th largest in terms of value, thereby accounting for around 10% of world’s production by volume and 1.5% by value.

भारत सरकार ने राज्यों के साथ साझेदारी में तीन औषधि उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए 140 बिलियन-डॉलर ($1.8 बिलियन डॉलर) की निधि की घोषणा की है और प्राथमिकता के आधार पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 53 प्रमुख प्रारम्भिक सामग्री एपीआई निर्धारित किए हैं। इस कदम से इस क्षेत्र में उत्पादकता को काफी बढ़ावा मिलने की आशा है। छोटे व्यवसायियों के लिए इन योजनाओं की संभावना अधिक है और विशेष रूप से निवेश की ₹200-500 मिलियन की जोखिम सीमा पर अधिक निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए।

GoI has announced a 140-billion-rupee ($1.8 billion) fund for setting up three drug manufacturing hubs in partnership with states and identified 53 key starting materials APIs to boost the output on priority basis. The move is expected to significantly boost the productivity in the sector. These schemes are likely appeal more to the smaller players and should foster more investments especially on the ₹200-500 million investment thresholds.

B. चिकित्सा उपकरण उद्योग / Medical device industry

1. सेक्टर का आकार / Size of the sector

भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग में बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) एक अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ रहे हैं। भारत में चिकित्सा उपकरणों के उद्योग का वर्तमान बाजार आकार $ 11 बिलियन होने का अनुमान है। वर्तमान चिकित्सा उपकरण क्षेत्र स्पष्ट रूप से छोटा है और देश में कम पहुँच का संकेत देता है। यद्यपि, भारत की बड़ी आबादी की बढ़ती मांग को देखते हुए आने वाले वर्षों में यह दोहरे अंकों की दर से बढ़ने की क्षमता रखता है। इसके अलावा, कोविड -19 जैसी वैश्विक महामारी के कारण क्षेत्र के विकास में और तेजी आने की संभावना है।

The medical devices industry in India consists of large multinationals as well as small and medium enterprises (SMEs) growing at an unprecedented scale. Current market size of the medical devices industry in India is estimated to be $11 bn. The medical device sector today is clearly small and indicates low penetration in the country. However, it has potential to grow at double digit rates in the years to come given the growing demand

from India's large population. Further, pandemic like Covid-19 is likely to further accelerate growth of the sector.

भारत के चिकित्सा उपकरणों का उद्योग अगले पांच वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए तैयार है और बाजार का आकार 2025 तक 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की आशा है।

India's medical devices industry is poised for significant growth in the next five years and the market size is expected to reach $50 bn by 2025.

2. क्षेत्र की संरचना, खंड और उपस्थिति Structure, Segments and presence of the sector

संरचना Structure:

भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग अत्यधिक बिखरा हुआ है। वर्तमान में, इस क्षेत्र में 70% -75% आयात के माध्यम से मांग को पूरा करते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व है। लगभग 30% घरेलू निर्मित उपकरणों का निर्यात किया जाता है, जिसमें उपभोग्य और प्रयोज्य वस्तु खंड का सबसे बड़ा हिस्सा है।

The Indian medical device industry is highly fragmented. Currently, this sector is dominated by MNCs with 70%-75% of the demand met through imports. Approximately, 30% of the domestically manufactured devices are exported, in which the consumables and disposables segment has the largest share.

वर्तमान में, भारत में लगभग 800 चिकित्सा उपकरण निर्माता हैं, जिनमें से 10% का 8 मिलियन यूएसडी से अधिक का कारोबार है।

Currently, there are approximately 800 medical device manufacturers in India, 10% of which have a turnover of more than USD 8 mn.

खंड Segments:

a) उपभोग्य वस्तु और प्रयोज्य वस्तु (सुइयां, खून की थैलियाँ, IV तरल पदार्थ सेट, शल्य संबंधी टांके, आदि) Consumables and Disposables (syringes, blood bags, IV fluid sets, surgical sutures, etc.)
b) उपस्कर तथा उपकरण (एमआरआई मशीन, सिटी स्कैनर, अल्ट्रासाउंड मशीन, डेंटल ड्रिल, डेंटल कुर्सी, डेंटल एक्स-रे मशीन, आदि।)

Equipment and Instruments (MRI machines, CT scanners, ultrasound machines, dental drills, dental chairs, dental x-ray machines, etc.)

c) रोगी सहायता (श्रवण यंत्र और पेसमेकर) Patient Aid (hearing aids and pacemakers)
d) इंप्लांट्स Implants
e) स्टेंट्स, इत्यादि Stents, etc

उपस्थिति: वर्तमान में, देश में पांच चिकित्सा उपकरण विनिर्माण क्लस्टर हैं, जो निम्नानुसार हैं:
Presence: Currently, there are five medical device manufacturing clusters in the country, which are as under:

a) हरियाणा में उपभोग्य और दंत चिकित्सा उपकरण Consumables and dental equipments at Haryana
b) सूरत, गुजरात में स्टेंट विनिर्माण Stent manufacturing at Surat, Gujarat
c) नई दिल्ली में मेडटेक इनोवेटर्स MedTech Innovators at New Delhi
d) कर्नाटक में इंसुलिन पेन, मेडिकल आईटी, कार्डियक स्टेंट और इंप्लांट्स, पीसीआर मशीनें
Insulin pens, Medical IT, Cardiac Stents and Implants, PCR machines at Karnataka
e) तमिलनाडु में डायग्नोस्टिक्स, क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम और नेत्र विज्ञान संबंधी उपकरण
Diagnostics, Critical life support systems and Ophthalmology at Tamilnadu

3. सरकार की पहल Initiatives of the Govt.

भारत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में भारत में निर्माण करने वाले चिकित्सा उपकरणों के जीवंत पारितंत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं:

The Government of India has taken several steps to ensure the growth of a vibrant ecosystem of medical devices manufacturing in India over the past 5 years:

- ✓ मेक इन इंडिया अभियान, 2014 के तहत चिकित्सा उपकरण को एक उभरते क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त Recognized Medical Devices as a sunrise sector under Make in India campaign, 2014
- ✓ चिकित्सा उपकरण नियम 2017 The Medical Devices Rule of 2017
    1. जीएचटी दिशानिर्देशों के आधार पर जोखिम-आधारित वर्गीकरण को अपनाया: ए, बी, सी, डी
    Adopted risk-based classification based on GHT guidelines: Classes A, B, C, D
    2. निर्माताओं के लिए स्थायी लाइसेंस
    Perpetual licences for manufacturers
- ✓ 2020 के चिकित्सा उपकरण संशोधन नियम दवाओं के रूप में विनियमन के तहत भारत में सभी चिकित्सा उपकरणों को लाता है
- ✓ The Medical Devices Amendment Rules of 2020 bring all medical devices in India under regulation as drugs
- ✓ मेडिकल उपकरण , 2020 के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना
- ✓ A Productions Linked Incentives Scheme for Medical Devices, 2020
- ✓ निर्धारित मेडिकल उपकरणों के खंडों पर आधार वर्ष 2019-20 से 5% @ अधिक वृद्धिशील बिक्री प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
Incentive @ 5% of incremental sales over the base year 2019-20 will be provided on the segments of medical devices identified
    1. कैंसर की देखभाल / रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण
    Cancer care/Radiotherapy medical devices
    2. रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (दोनों आयनीकरण और गैर-आयनीकरण विकिरण उत्पाद) और परमाणु इमेजिंग उपकरण
    Radiology & Imaging medical devices (both ionizing & non-ionizing radiation products) and Nuclear Imaging Devices

3. एनेस्थेटिक्स और कार्डियो-रेस्पिरेटरी मेडिकल डिवाइसेज जिसमें कैथेटर्स ऑफ कार्डियोरेसपिरेटरी श्रेणी और रीनल केयर मेडिकल डिवाइसेस शामिल हैं

   Anaesthetics & Cardio-Respiratory medical devices including Catheters of Cardiorespiratory Category & Renal Care Medical Devices

4. सभी इम्प्लांट्स जिसमें इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कॉक्लियर इंप्लांट्स और पेसमेकर शामिल हैं।

   AII Implants including implantable electronic devices like Cochlear Implants and Pacemakers.

- ✓ देश में मेडिकल डिवाइस पार्कों के लिए वित्त पोषण, 2020
- ✓ Funding for Medical Devices Parks in the country, 2020
  1. ₹400 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ के साथ 4 मेडिकल डिवाइस पार्कों में सामूहिक ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराना।
     Financing Common Infrastructure Facilities in 4 Medical Device Parks with financial implications of ₹400 crores.
  2. राज्यों को प्रति पार्क ₹100 करोड़ की अधिकतम अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी
     A maximum grant-in-aid of ₹100 crore per park will be provided to the States
  3. देश में चिकित्सा उपकरणों की विनिर्माण लागत को कम करने की उम्मीद है
     Expected to reduce the manufacturing cost of medical devices in the country

4. उत्तराखंड में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र Medical device sector in Uttarakhand

उत्तराखंड ने एक अनुकूल औद्योगिक नीति और उदार कर लाभ के कारण पूंजी निवेश में बड़े पैमाने पर वृद्धि देखी है। इसलिए, उत्तराखंड भारत में सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है। वित्त वर्ष 2016-21 के बीच राज्य की जीएसडीपी 10.62 प्रतिशत की यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर बढ़ी।
Uttarakhand has witnessed massive growth in capital investments due to a conducive industrial policy and generous tax benefits. Therefore, Uttarakhand is one of the fastest growing states in India. The state's GSDP increased at a compound annual growth rate (CAGR) of 10.62 per cent between FY16-21.

हरिद्वार, उत्तराखंड फार्मास्युटिकल क्लस्टर के लिए प्रसिद्ध है और 50 एकड़ के क्षेत्र में पहला फार्मा शहर सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र, देहरादून में आ रहा है।
Haridwar, Uttarakhand is famous for pharmaceutical cluster and first pharma city over an area of 50 acre is coming up at Selaqui Industrial Area, Dehradun.

राज्य में उत्तर भारत का पहला चिकित्सा उपकरण और परीक्षण पार्क होगा। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एसआईडीसीयूएल) ने 29 अगस्त, 2019 को देहरादून और हरिद्वार की सीमा पर 'मेडी सिटी' बनाने के लिए कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी (केआईएचटी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो रुड़की, हरिद्वार के साथ-साथ पश्चिमी उ.प्र के दवा निर्माण इकाइयों को आपूर्ति करेगा। पार्क में 1000 से अधिक चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण करने और इस परिसर के अंदर उनकी प्रयोज्यता का परीक्षण करने की संभावना है।
The state would have North India's first medical equipment and testing park. State Industrial Development Corporation of Uttarakhand Ltd (SIDCUL) has signed a MoU with Kalam Institute of

Health Technology (KIHT) on August 29, 2019 to build 'Medi City' on the border of Dehradun and Haridwar, which will cater to the medicine manufacturing units of Roorkee, Haridwar as well as Western UP. The park is likely to see the manufacturing of over 1000 medical equipment and also test their usability inside the premises.

इसके अलावा, राज्य को 'आत्मनिभर भारत योजना' के तहत भारत सरकार द्वारा हाल ही में की गई पहलों से भी लाभ होने की संभावना है।
Further, State is also likely to benefit from recent initiatives announced by GoI under 'Atmanirbhar Bharat Yojana'.

C. प्रस्तावित हस्तक्षेप/ परियोजना: The proposed intervention / project:

इस पृष्ठभूमि में, सिडबी ने उत्तराखंड (यूके) में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए मौजूदा औद्योगिक पारितंत्र को समझने और वर्तमान अवसरों, आर्थिक परिदृश्य और भारत सरकार की हालिया नीतिगत घोषणाओं के आधार पर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक हस्तक्षेप रणनीति तैयार करने का प्रस्ताव रखा है।
In this backdrop, SIDBI proposes to carry out a study to comprehend the existing industrial ecosystem for medical device sector in Uttarakhand (UK) and devise a comprehensive intervention strategy to boost growth of the sector based on current opportunities, economic scenario & recent policy announcements by GoI.

1) अध्ययन की पद्धति Methodology for the study

a) विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली एजेंसियों / संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विस्तृत और उपयुक्त अध्ययन पद्धति निर्धारित और परामर्शदाता द्वारा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सुझाव दिया जाएगा।
Detailed & appropriate study methodology to be implemented by the agencies / organisations fulfilling the specified eligibility criteria will have to be determined and suggested by the consultant to reach the objectives.

b) अब तक प्राप्त ईओआई बाहरी विशेषज्ञों सहित और/ या सिडबी के अधिकारियों के पैनल द्वारा विस्तृत संवीक्षा और समकक्ष समीक्षा के अधीन होगी ।
EOIs so received shall be subjected to detailed scrutiny and peer review by a panel of officials of SIDBI and / or / including external experts.

c) तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों से शॉर्टलिस्ट किए गए वेंडरों / एजेंसियों से मुहर बंद प्रस्ताव / कोटेशन आमंत्रित किए जाएंगे।
Sealed offers / quotations shall be invited from the shortlisted vendors / agencies from Technical & Commercial proposals.

d) इस प्रकार प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों को बाहरी विशेषज्ञों सहित और/या/ सिडबी के अधिकारियों के एक पैनल द्वारा एक एजेंसी / परामर्शदाता फर्म का चयन करने के लिए समग्र रूप से समीक्षा की जाएगी ।
The Technical & Commercial proposals so received shall be taken-up for holistic review by a panel of officials of SIDBI and / or / including external experts for selecting an agency / consulting firm to carry out the study.

e) चयनित एजेंसी / फर्म को समनुदेशन देने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर अध्ययन पूरा करने की उम्मीद की जाएगी।
The selected agency / firm would be expected to complete the study within period of 3 weeks from date of award of the assignment.

f) ईओआई में निम्नलिखित शामिल किया जाना चाहिए: The EOI should include the following:

- ✓ नोडल संपर्क बिन्दु सहित प्रमुख/ सीईओ का संपर्क विवरण और नाम सहित एजेंसी/ संगठन का एक संक्षिप्त विवरण।
- ✓ नीचे दिए गए सूच्य कार्य के दायरे के आधार पर विस्तृत तरीके [3-5 पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए]।
  Detailed methodologies [not exceeding 3-5 pages] based on indicated **Scope of Work** given below.

g) सिडबी बिना कोई कारण बताए प्रक्रिया को रद्द/आशोधित/ निकाल देने का विवेकाधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। केवल पीओसी जमा करने से आरएफपी में भाग लेने के आमंत्रण का अधिकार अथवा किसी एजेंसी को किसी भी तरह की लागत प्रतिपूर्ति अधिकार नहीं मिलता है। सिडबी की वेबसाइट पर किसी भी शुद्धिपत्र / परिशिष्ट / आशोधनों या किसी अन्य परिवर्धन को अधिसूचित किया जाएगा।
SIDBI reserves the right to cancel/modify/scrap the process at its discretion without assigning any reason. Mere submission of PoC does not entitle an agency to seek any cost reimbursement whatsoever or invitation to participate in RfP. Any corrigendum / addendum / modifications or any other development shall be notified over SIDBI website.

2) <u>कार्य का दायरा / Scope of Work (SoW)</u>

i. अध्ययन में उत्तराखंड में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के विशिष्ट उप-क्षेत्रों (यानी चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं और डिस्पोजेबल, चिकित्सा उपकरण और उपकरण, चिकित्सा रोगी सहायता, चिकित्सा स्टेंट, चिकित्सा प्रत्यारोपण, आदि) वर्तमान पारितंत्र, आगामी औद्योगिक पार्क, अड़चनें, राज्य सरकार की हालिया पहल और भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नीतिगत घोषणाओं के आधार पर इन विशिष्ट उप-क्षेत्रों में अड़चनों को दूर करने और अवसर के अनुमाप हेतु समाधान की वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
The study should focus on present status of specific sub-sectors of medical device sector (i.e. medical consumables & disposables, medical devices & equipment, medical patient aid, medical stents, medical implants, etc) in Uttarakhand, current ecosystem, upcoming industrial parks, bottlenecks, solutions for de-bottlenecking and opportunity scale in these specific sub-sectors based on recent initiatives of the State Govt and policy announcements by GoI under Atmanirbhar bharat yojana.

ii. ब्रिटेन में आ रही नई बुनियादी सुविधाओं के आधार पर चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के तहत इन विशिष्ट उप-क्षेत्रों के विकास के लिए क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण का दायरा और संभावना।
Scope & potential of cluster-based approach for development of these specific sub-sectors under medical device sector based on upcoming new infrastructure in UK.

iii. राज्य में क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, नीति प्रवर्तक और संस्थागत तंत्र (राज्य सरकार द्वारा आगामी इकाइयों के लिए कर हितलाभ, पूंजी और ब्याज सब्सिडी सहित) का सुझाव देना।
Suggest incentives, policy enablers and institutional mechanism (including tax benefits, capital & interest subsidy for the upcoming units by the State Govt) to boost growth of the sector in the state.

iv. ऋण अंतरालों का मानचित्रण यानी वित्त की आवश्यकताएं और उपलब्धता। परामर्शदाता / कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी बैंकों / वित्तीय संस्थाओं आदि से एमएसएमई के लिए वित्त की वर्तमान उपलब्धता की समीक्षा करना।

Mapping of credit gaps i.e. the requirements and availability of finance. The consultant/ implementing agency shall review current availability of finance for MSMEs from banks/ FIs etc.

v. मौजूदा अंतरालों को समझने और प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए एमएसएमई इकाइयों, उद्योग संघों, डीआईसी आदि सहित महत्वपूर्ण हित-धारकों के साथ संबंधित जिलों में आमने-सामने की बैठक के लिए डिजिटल या भौतिक साधनों के माध्यम से हितधारकों से परामर्श करना।
Stakeholder consultations through digital or physical means for one to one meeting, focussed group discussions etc. in the respective districts with important stakeholders including MSME units, industry associations, DICs, etc. to understand existing gaps and collate feedback.

vi. रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उन जिलों में एमएसएमई के समूहों को सूचीबद्ध करना चाहिए जहां प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की गुंजाइश है।
The Report should also explicitly list out the pockets of MSMEs in the underserved districts where there is a scope for direct interventions.

D. गोपनीयता / Confidentiality

इस असाइनमेंट के उद्देश्य हेतु सिडबी से प्राप्त सभी डेटा और जानकारी को गोपनीय रखा जाना चाहिए और केवल इन शर्तों के निष्पादन के संबंध में उपयोग किया जाना चाहिए।
All data and information received from SIDBI for the purpose of this assignment are to be treated confidentially and are only to be used in connection with the execution of these Terms of Reference.

इस विचारार्थ विषय के निष्पादन से उत्पन्न होने वाले सभी बौद्धिक संपदा अधिकार सिडबी के पास निहित होंगे। इस असाइनमेंट में प्राप्त और उपयोग की जाने वाली लिखी गई सामग्री सिडबी की अनन्य संपत्ति होगी और सिडबी के व्यक्त अग्रिम लिखित प्राधिकरण के बिना किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं बताई जाएगी।
All intellectual property rights arising from the execution of these Terms of Reference shall vests with SIDBI. The contents of written materials obtained and used in this assignment shall be the exclusive property of SIDBI and shall not be disclosed to any third parties without the expressed advance written authorization of SIDBI.

संलग्नक / Annexure

योग्यतापूर्व मानदंड और सामान्य दिशानिर्देश
Pre-Qualification Criteria and General Guidelines

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली एजेंसियां / संगठन आवेदन कर सकते हैं:
Agencies / Organisations fulfilling the following conditions may apply:

एजेंसी को चाहिए कि / The agency should

1. वह भारत में 01 अप्रैल 2016 या उससे पहले से परिचालनरत हो। एजेंसी एक सरकारी संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई / भागीदारी फर्म / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / सीमित देयता भागीदारी फर्म / एमएनसी / सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए जो भारत में पंजीकृत या निगमित हो। यह एक व्यक्तिगत / मालिकाना प्रतिष्ठान / एचयूएफ, आदि नहीं होना चाहिए। इसे जीएसटी प्राधिकरण में पंजीकृत होना चाहिए।
have been in operation in India since April 01, 2016 or earlier. The agency should be a Government Organisation/ Public Sector Unit/ Partnership Firm/Private Limited Company/ Limited Liability Partnership Firm/MNC/ Public Limited Company registered or incorporated in India. It should not be an Individual / Proprietary Concern / HUF, etc. It should be registered with the GST authority.
2. विकास क्षेत्र में परियोजना क्रियान्वयन / सेवाएं प्रदान करने का ट्रैक रिकॉर्ड हो और पिछले 3 वर्षों के दौरान कम से कम एक ऐसी परियोजना क्रियान्वित की हो। एजेंसी / सलाहकार को युक्तियों-विचारों, उत्पाद विकास और प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होना चाहिए।
have proven track record of executing project/ providing services in development field **and have undertaken at least one similar project during past 3 years.** The agency / consultant should be able to contribute substantively to ideas, product development and processes.
3. इसी तरह की परियोजनाओं पर कम से कम 3 साल का विकासात्मक, परिचालन और अनुसंधान का अनुभव हो।
have minimum of 3 years of hands-on developmental, operational and research experience on similar projects.
4. वित्तीय वर्ष 2019 के लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय विवरण और वित्त वर्ष 2020 के लेखापरीक्षित / गैर लेखापरीक्षित / अनंतिम वित्तीय विवरण के अनुसार, विगत किसी भी दो वित्तीय वर्षों के दौरान प्रबंधन परामर्शी / सलाहकार सेवाओं से रु.3 करोड़ (केवल तीन करोड़ रुपये) का व्यावसायिक शुल्क / न्यूनतम राजस्व अर्जित किया है।
have earned a professional fee / minimum revenue of INR 3 crore (Rupees Three Crore only) from management consultancy / advisory services during any of the two previous financial years, as per audited financial statement of FY 2019 and audited/unaudited/provisional financial statement of FY 2020.
5. 31 मार्च 2020 तक सकारात्मक निवल मालियत (मूर्त) हो। निवल मालियत की गणना निम्न प्रकार से की जानी है: कैपिटल फंड्स (पेड़ अप इक्विटी कैपिटल + पेड अप प्रीफरेंस शेयर + फ्री रिजर्व) - (संचित शेष राशि + आस्थगित राजस्व व्यय शेष + अन्य अमूर्त संपत्ति)।
have Positive net worth (tangible) of as on 31st March 2020. Net worth is to be calculated as follows: Capital Funds (Paid up Equity Capital + Paid up preference Shares + Free Reserve) – (Accumulated Balance of loss + Balance of deferred revenue expenditure + Other intangible assets).
6. किसी भी केंद्रीय सरकार के मंत्रालय / बैंक / भा रि बैंक / आईबीए / किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा किसी भी कानूनी अदालत में दंडित या दोषी नहीं पाया गया है और न ही किसी भी मुकदमेबाजी में शामिल है, जो आवश्यक सेवाओं के वितरण को प्रभावित या समझौता कर सकता है।
not have been penalized or found guilty in any court of law and not blacklisted/ debarred by any Central Government Ministry/ Bank/ RBI/ IBA/ any regulatory authority and not involved in any litigation that may have impact or compromise the delivery of services required.
7. सिडबी के किसी भी निदेशक या कर्मचारी(या उनके रिश्तेदारों) के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं होना चाहिए।
not be owned or controlled by any Director or Employee of SIDBI (or their Relatives).

8. भारत के अधिकार क्षेत्र में किसी भी बैंक / एनबीएफसी / वित्तीय संस्थान के भुगतानों में चूक नहीं की है
not have defaulted to any Bank/NBFCs/FIs within the jurisdiction of India

9. सरकार को देय कर दायित्व की पूर्ति की हो।
should have fulfilled its tax obligation to the Govt.

10. कार्यभार को अपने बूते पर संभालने की इन-हाउस क्षमता हो (सहयोगी प्रतिष्ठान के माध्यम से नहीं)।
have in-house capability to take up assignment on its own (not through associate concern).